संख्या-986/2018/1879/22-2-2018-17(403)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आर0के0 राघव पुत्र श्री गजराज सिंह, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-दया0 **(**दिनांक 07.08.2018**)** दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी आर0के0 राघव पुत्र श्री गजराज सिंह, जो सुल्तानपुर बिल्लोली**,** थाना-छतारी, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुलिस एवं सिक्ख आतंकवादियों के मध्य हुई मुठभेड़ के कारण दिनांक 12.07.1991 को 45 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर इनकाउण्टर करके 10 व्यक्तियों की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1800369/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302**,** 120बी**,** 364**,** 218**,** 117 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0 कोर्ट सं0-01**,** अपर जिला न्यायाधीश**,** लखनऊ के आदेश दिनांक 04.04.2016 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.05.2018 तक 02 वर्ष 01 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष 07 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की काटी गयी सजा**,** कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी आर0के0 राघव (बन्दी संख्या-333/2016) पुत्र श्री गजराज सिंह, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-986/2018/1879(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in